फतेहगढ़पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :-02/03/2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 19/2025 धारा 305/317 (2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कनकौली गांव पानी की टंकी के पास से अभियुक्त आशीष दुबे पुत्र बिनोद कांत दुबे उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम अखमेलपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से 03 अदद अंगूठी पीली धातु 04 अदद पायल व 01अदद करधनी सफेद धातु के साथ गिरफ्तार कर मा0न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशीष दुबे पुत्र बिनोद कांत दुबे उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम अखमेलपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद

घटना का सक्षिप्त विवरणः- दिनांक 28/01/2025 को श्री रामकुमार सिंह उर्फ बडे भैया पुत्र श्री कलैक्टर सिंह निवासी ग्राम अखमेलपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद के प्रार्थना पत्र मे अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में जाल के सहारे घुसकर जेवरात सोना, चांदी, पीतल के वर्तन व कपडे व एक हजार रूपये आदि चोरी करने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ है था जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 19/2025 धारा 305 B.N.S बनाम 1. आशीष दुबे पुत्र विनोद कांत दुबे1. किशोर अपचारी निवासीगण ग्राम अखमेलपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था दौराने विवेचना बाल अपचारी के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से चोरी हुआ माल बरामद हुआ था जिसके आधार पर धारा 317(2)BNS की बढोत्तरी की गयी थी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को पूर्व मे बाल सुधार ग्रह भेजा जा चुका है । दिनांक 01/03/2025 को अभियुक्त आशीष दुबे को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- आशीष दुबे पुत्र बिनोद कांत दुबे उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम अखमेलपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद ने पूछने पर जुर्म से मांफी मागते हुए बताया कि साहब मै उपरोक्त पते का निवासी हूँ तथा मै गांव मे ही रहकर खेती बाड़ी का काम करता हूँ मेरे गांव का लड़का पिछले कई साल से मेरे घर पर जानवरो का चारा पानी करता है तथा मै जो उसको बताता था वह कर देता था दिनांक 24 जनवरी 2025 को दोपहर करीब 03.00 बजे मेरी छत पर वह पतंग उडा रहा था फिर वह घूमता हुआ रामकुमार की छत की तरफ चला गया फिर उसने मुझे बुलाया एवं मुझसे जाल हटाकर रामकुमार के घर जाने को कहा हमने मिलकर जाल हटाया तथा उसको मैने जाल से हाथ पकडकर लटका दिया उसने जीने पर लगे दरवाजा का गेट खोल दिया और मै भी नीचे चला गया मैने वही पर मिले पेचकश से कमरे का ताला झटका मारकर खोल दिया फिर अन्दर के कमरे का भी खोल दिया फिर अन्दर कमरे मे रखे के छोटे ताले भी खोल दिये बक्से मे हमे एक काले बैग मे जेवर मिल गये और डिब्बी से जेवर निकालकर अपनी जेबो मे रख लिए जिसमे दो हार, सात चूड़ी, आठ अंगूठी जिनमे चार लेडीज, चार जेन्ट्स , एक जोडी कान के कुन्डल , 02 मांग टीका सोने के , एक कमर बन्द पेटी, चार जोड़ी पायल,चार जोड़ी बिछुआ चांदी के तथा 10 रूपये के एक नयी गड्डी , पाँच रूपये का नोट भी मिला वहाँ से हम बाहर आये थे और कुन्डी बाहर से बन्द कर दी थी फिर गांव के बाहर आकर सामान आपस मे बाट लिया था। उसको तीन अंगूठी, एक हार, तीन चूड़ी, बिछुआ, पायल, कान के कुन्डल तथा एक मांग बेदी और पाँच सौ रूपये दे दिये थे बाकी सामान मैने रख लिया था फिर कुछ सामान मैने गाड़ दिया था और बाकी सामान मैने कानपुर मे अपरिचित आदमी को मजबूरी बताकर बेच दिया था मै जब ट्रेन से कानपुर जा रहा था तो

मैने रास्ते मे पेचकस फेक दिया था । पेचकस कहाँ फेका यह मुझको नही पता है। साहब आपने 03 अदद अंगूठी, 04 अदद पायल व 01अदद करधनी मुझसे बरामद कर लिया है और 10 रूपये की गड्डी मैने अपने साले की शादी मे खर्च कर दी। साहब मैने वहाँ पर रखे कोई भी बर्तन व कपड़े आदि नही छुए थे । बाकी के बयान अपने वकील साहब के माध्यम से मा0न्यायालय मे दूँगा।

अभियुक्त आशीष दुबे का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 19/2025 धारा 305/317(2) BNS थाना कमालगंज जनपद फतेगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1.निरीक्षक श्री राजेश कुमार गौतम
2.उ0नि0 श्री शिव कुमार
3.हे0का0 इरसाद